संख्या–1231/XXVIII–5–/2009–100/2009

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 15 अक्टूबर, 2009

विषयः वित्तीय वर्ष 2009–10 में शव विच्छेदन गृह उत्तरकाशी के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प/1/19/2008/5715 दिनांक 10 फरवरी, 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शव विच्छेदन गृह उत्तरकाशी के भवन निर्माण कार्य हेतु आगणन की आंकलित लागत रू0 26,11,000.00 (रू0 छब्बीस लाख ग्यारह हजार मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2009–10 में औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 23,50,000.00 (रू0 तेईस लाख पचास हजार मात्र) पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए संलग्नकानुसार कुल रू0 23,50,000.00 (रू0 तेईस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2– आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गठित के लिये ही अनुमन्य है। कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

4– उक्त धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित की जायेगी तथा परियोजना प्रबन्धक, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्बा, जनपद–टिहरी गढ़वाल को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपभोग तथा निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्य पूर्ण किया जाना प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब की दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।

5– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाउचर संख्या एवं दिनाँक की सूचना तत्काल शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

6– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृत प्राप्त करनी आवयक होगी।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है।

9– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जाय।

10– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय 31.03.2010 से पूर्व सुनिश्चित कर इसका वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

11– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए ।

12– प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य को अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा।

13– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

शासनादेश सं0–1231/XXVIII-5-2009-100/2008 दिनांक 15 अक्टूबर 2009 का संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	निर्माण इकाई	आगणन की आंकलित धनराशि	अनुमोदित लागत	2009–10 में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1.	शव विच्छेदन गृह उत्तरकाशी का भवन निर्माण ।	पेय जल निगम	26.11	23.50	23.50
		योग	26.11	23.50	23.50

(रू0 तेईस लाख पचास हजार मात्र)

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव